51
03-02-18

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3/2016– परि0, दिनांक–

सूचना

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों द्वारा स्टेज कैरेज परमिट नवीकरण हेतु दाखिल आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गई है। परमिट के नवीकरण करने के पूर्व वाहन पर निम्नांकित कंडिकाओं में अंकित विवरण एवं अद्यतन आवश्यक मान्य कागजात जमा करना आवश्यक हैः–

1. स्टेजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय–सारणी का वाहन पर अंकन (दरवाजे के पास बाहर की तरफ)।
2. 15 कि0ग्रा0 भार तक का सामान प्रति यात्री निःशूल्क ढ़ाये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग वॉडी के बायें तरफ पर बड़े–बड़े अक्षरों में साफ–साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन के आगे (विन्ड स्क्रीन के उपरी भाग में) एवं पीछे वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैद्यता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत प्राधिकार का नाम का अंकन।
5. वाहन में प्रथम चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) का संधारण।
6. महिलाऐं एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है का अंकन एवं संधारण।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर के नाम का अंकन। (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायत पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)।
9. परमिट के मार्ग में पड़ने वाले संबंधित थाना का नाम (मोबाईल नंबर सहित) वाहन के पीछे (बाहरी भाग) वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से अंकन।
10. परमिट के शर्त्त के अनुसार दैनिक सेवा परिचालन करने संबधी मासिक विवरणी समर्पित नहीं करने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–86(5) में निहित प्रावधान के तहत् मो0 1000.00(एक हजार) रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव अधिरोपित दण्ड की राशि सचिव, आर0टी0ए0 के बैंक खात सं0–11024399878 में जमा कर चलान की मूल प्रति समर्पित करें।

क्रम सं0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	आवेदन की तिथि	मार्ग
1	2	3	4	4
1	श्री राम कुमार यादव	BR32F-2981	23.11.2017	कुनौली से दरभंगा
2	श्री कृष्ण कुमार ठाकुर	BR06PB-3225	12.12.2017	भिठामोड़ से लहेरियासराय

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8 (आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी अद्यतन मान्य कागजात एवं परमिट की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत परमिट नवीकृत किया जा सके।

ह0/–
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3–/2016– 69 /परि0 दिनांक– 3/2/2018

प्रतिलिपि– सबंधित वाहन स्वामियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,दरभंगा से अनुरोध है कि एन0आई0सी0,दरभंगा के बेबसाईट पर आर0टी0ए0 (Regional Transport Authority) लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

2.2.18

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।